

क्रमांक/जिडिफाप्रालि/ओएफसी/वनभूमि/स्टेज-2/बालोद/2023 रायपुर, दिनांक : 12/05/2023

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी,
बालोद वन मण्डल बालोद,
जिला-बालोद (छत्तीसगढ़).

विषय : बालोद जिले के बालोद वन मण्डल अन्तर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 2.895 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव ।

संदर्भ : छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक/एफ 5-20/2022/10-2 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 27.02.2023 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत बालोद जिले के बालोद वन मण्डल अन्तर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 2.895 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि उपयोग पर देने हेतु अंतिम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है । अंतिम चरण स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय वचन पत्र संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

क्रमांक	शर्त	पालन प्रतिवेदन
01	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
02	प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जाएगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
03	ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जाएंगे ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
04	उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी । वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुँचे, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में बिना मशीनों का उपयोग किए मजदूरों के द्वारा खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।

	आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा ।	
05	स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वन मण्डलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
06	उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अन्तर्गत ही बिछाई जाएगी ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
07	आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात् उपयोग किए गए भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु वचनबद्ध रहेगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
08	आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभवन वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
09	आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
10	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए किया जावेगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
11	वन भूमि के हस्तांतरण से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
12	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980)द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर को प्रेषित करेंगे ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
13	बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जावेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।

	हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संश्रयक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर को निवेदन करेंगे ।	
14	क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।

संलग्न :- वचन पत्र ।



(अमन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)

जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
रायपुर (छत्तीसगढ़)